180

3608/III-6/06 S.NO. 111 (RI)
13/11/06

(23)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

कार्यालय डायरी नं. 13054 9/11/06

क्रमांकः– प.24(17)प्र.सु./सम./अनु–1/2005 जयपुर, दिनांक :– 7.11.2006

परिपत्र

विषय –सचिवालय के प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में

439/C

विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.10.05 के अतिक्रमण में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक विभागों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक सुधार (अनु–1) विभाग में आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क जमा करने की व्यवस्था की गयी है।

2. आवेदन पत्रों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु सभी प्रशासनिक विभागों में पूर्व परिपत्र दिनांक 21.10.2005 द्वारा "प्रशासनिक विभागीय सूचना अधिकारी" (**I.O.A.D.**) मनोनीत कराये गये थे, अब समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को निर्देशित किया जाता है वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत इन "प्रशासनिक विभागीय सूचना अधिकारी" (**I.O.A.D.**) को "सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी" (**A.S.P.I.O.**) के रूप में नियुक्त कर सूचना प्रकाशित करावें।

3. सभी सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी इस विभाग द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्रों पर तत्काल निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे :–

   (1) यदि आवेदित सूचना दी जानी है तो अपने स्तर पर निणर्य लेकर 30 दिवस में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराएगें एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी (प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग) को भी अवगत कराएंगे।

   (2) आवेदक द्वारा प्राप्त सूचना अपर्याप्त माने जाने पर उपलब्ध सूचना की पर्याप्तता पर निर्णय भी राज्य लोक सूचना अधिकारी, (सचिवालय) द्वारा लिया जावेगा। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रशासनिक विभाग उपलब्ध कराई गयी सूचना के बाबत अन्य आवश्यक अतिरिक्त पूरक विवरण भी पत्रावली सहित राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्णयार्थ तत्काल उपलब्ध कराएंगे।

   (3) यदि संबंधित प्रशासनिक विभाग यह महसूस करता है कि आवेदित सूचना नियमानुसार देय नहीं है या आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं है तो संबंधित सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह 5 दिवस के अन्दर संबंधित पत्रावली राज्य लोक सूचना अधिकारी (प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग) को प्रस्तुत करेंगे, जिस पर अंतिम निर्णय राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा, जिसकी तदनुसार पालना की जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. आवेदित सूचना अन्य विभाग से संबंधित होने पर, धारा 6(3) के अनुसार कार्यवाही कर उक्त आवेदन पत्र 5 दिवस में अपने स्तर से संबंधित विभाग को स्थानान्तरित करेंगे, ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।

DS(E) urgent. Put immediately. 10.11.06

Smt. Mahesh

(अनिल वैश्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
3. समस्त शासन उप सचिवगण।
4. रक्षित पत्रावली।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रमुख शासन सचिव,
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग